केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(39)एसपी / 96 / दिनांकः 21.7..2016

<u>कोटेशन सूचना</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के विभिन्न प्रकार के सरकारी कपड़ों को धोने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु आपसे अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करने हेतु मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते है।

<u>संस्थान के विभिन्न प्रकार के सरकारी कपड़े धोने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु नियम व भार्ते</u>

1. कोटेशन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र / संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। **कोटे□ान संस्थान के निदे□ाक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 16.08.2016 तक समय 1.00 बजे (दोपहर) तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त, तार द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएगें। **कोटे□ानदाता को कोटे□ान के साथ पेन कार्ड की फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर कोटे□ान को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।** कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कोटेशनदाता के समक्ष खोले जाएगें।
2. ठेकेदार को कोटेशन के साथ 1000.00 (एक हजार) रूपये मात्र नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्लूआरआई अविकानगर, मालपुरा **(ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura)** के नाम से देय जमा हो अमानत राशि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. कोटेशन में प्रस्तुत दरें साफ–साफ अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं होनी चाहिए। कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। **कोटे□ान भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।**
4. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
5. ठेकेदार / प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे, कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदारी / अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत / जमानत राशि जब्त करली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
6. ठेकेदार / प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी / क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. अनुबन्धकर्ता को प्रत्येक सप्ताह संस्थान के सभी विभागों / अनुभागों / प्रयोगशालाओं से धोने के लिये कपड़े लाने होंगे तथा सप्ताह में धोकर वापस संबंधित विभागों / अनुभागो को लोटाना होगा। साथ ही प्राप्त कपड़ों मे से यदि कोई कपड़ा खो जाता है / कट जाता है / खराब हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा उसकी जो भी कीमत होगी उसे 15 दिन के भीतर–भीतर कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा देय बिल से उस राशि की कटौती करली जावेगी।
8. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, भण्डार अनुभाग के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
9. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
10. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
11. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद / क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

12. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर वाहन अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
14. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
16. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
17. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध ओदश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
18. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

(आर.पी. वर्मा)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सभी सूचना पट्ट (प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन, ए.पी.बी. लेब बिल्डींग, शॉपिंग सेन्टर, केन्टीन ब्लॉक)
2. प्रभारी, ए.के.एम. यूनिट को सूचनार्थ एवं वेब साईट पर प्रसारण हेतु।
3. प्रभारी, भण्डार अनुभाग।
4. सूचना पट्ट नगरपालिका, मालपुरा, पंचायत समिति, मालपुरा, कृषि उपज मण्डी, मालपुरा, ग्रामपंचायत, चाँदसेन

केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः6(39)एसपी / 96 / दिनांकः 21.7.2016

<u>कोटेशन प्रपत्र सूची</u>

1. भरे हुये निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 16.08.2016 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 16.08.2016 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : 1000 / – रूपये
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन

क्र.सं.	कार्य विवरण	दर प्रति नग सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	पलंग की निवार	
2.	पलंग की दरी	
3.	तौलिया (छोटा व बड़ा)	
4.	डस्टर	
5.	तकिये की खोली	
6.	सूती पर्दा	
7.	गर्म पर्दा	
8.	टेबिल का कवर, बेड सीट, चादर	
9.	सोफा सेट कवर	
10.	बस / कार की सीट कवर	
11.	कमरें की दरी	
12.	डांगरी	
13.	प्रयोगशाला की एप्रिन	

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के विभिन्न प्रकार के सरकारी कपड़े धोने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध / ठेके / जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने को अनुबन्ध / ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट / जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान / हस्तक्षेप करने / या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत / जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत / राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे / हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे / हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन / मोबाईल नं.

<u>संस्थान के विभिन्न प्रकार के सरकारी कपड़े धोने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके/जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर सम्पन्न करवाने हेतु नियम व भार्ते</u>

1. कोटेशन प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। **कोटे□ान संस्थान के निदे□ाक महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 16. 08.2016 तक समय 1.00 बजे (दोपहर) तक प्रस्तुत करना है।** सशर्त, तार द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं किये जाएगें। **कोटे□ानदाता को कोटे□ान के साथ पेन कार्ड की फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर कोटे□ान को स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।** कोटेशन उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे कोटेशनदाता के समक्ष खोले जाएगें।
2. ठेकेदार को कोटेशन के साथ 1000.00 (एक हजार) रूपये मात्र नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आईसीएआर यूनिट सीएसडब्लूआरआई अविकानगर, मालपुरा **(ICAR Unit CSWRI, Avikanagar, Malpura)** के नाम से देय जमा हो अमानत राशि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के कोटेशन स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल ठेकेदार को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि 10 प्रतिशत जमा करानी होगी उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
3. कोटेशन में प्रस्तुत दरें साफ–साफ अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं होनी चाहिए। कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। **कोटे□ान भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समक्षा जावेगा।**
4. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
5. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे, कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल मे से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।
6. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अनुबन्ध की अवधि में संस्थान में किसी प्रकार की चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. अनुबन्धकर्ता को प्रत्येक सप्ताह संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/प्रयोगशालाओं से धोने के लिये कपड़े लाने होंगे तथा सप्ताह में धोकर वापस संबंधित विभागों/अनुभागो को लोटाना होगा। साथ ही प्राप्त कपड़ों मे से यदि कोई कपड़ा खो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी तथा उसकी जो भी कीमत होगी उसे 15 दिन के भीतर–भीतर कार्यालय में जमा करवाना होगा अन्यथा देय बिल से उस राशि की कटौती करली जावेगी।
8. अनुबन्धकर्ता को प्रभारी, भण्डार अनुभाग के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
9. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
10. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
11. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर वाहन अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
13. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
14. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

15. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
16. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
17. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध ओदश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
18. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
19. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तें भली प्रकार से पढ़ली है तथा मुझे स्वीकार्य है। मैं संलग्न निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई दरों पर संस्थान में विभिन्न प्रकार के कपड़े धोने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/जॉबकोन्ट्रेक्ट के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का पता

माबाईल नं.

संलग्नक : 1. पेन कार्ड की प्रतिलिपि
2. 1000 रूपये नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट
3. अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।